

फा.सं.: आरजी-8/1/(1)/2023-बी और सीएस(1 और 3)

दिनांक: 19 जनवरी 2023

**विषय: दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रिसेबल सिस्टम) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2022 (2022 का 4) दिनांक 22.11.2022 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित), ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रिसेबल सिस्टम्स) टैरिफ आदेश, 2017 (2017 का 1) दिनांक 3 मार्च, 2017 और इसके बाद के संशोधन, नवीनतम दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रिसेबल सिस्टम) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2022 (2022 का 4) दिनांक 22 नवंबर, 2022 (इसके बाद "टैरिफ संशोधन आदेश" के रूप में संदर्भित) को अधिसूचित किया है।

2. उक्त टैरिफ संशोधन आदेश के अनुसार और पत्र सं. आरजी-8/1/(9)/2021-बी और सीएस (1 और 3) भाग- I दिनांक 1 सितंबर, 2022, टेलीविजन चैनलों (डीपीओ) के सभी वितरकों को 1 जनवरी, 2023 तक पे चैनलों और पे चैनलों के बुके के वितरण खुदरा मूल्य (डीआरपी), और पे और एफटीए चैनलों के बुके की संरचना के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट करना आवश्यक है, और साथ ही ऐसी जानकारी को अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करना आवश्यक है।

3. प्राधिकरण ने पाया है कि अनेक डीपीओ ने टैरिफ संशोधन आदेश के अनुपालन की पुष्टि करने वाली जानकारी प्रस्तुत नहीं की है और तदनुसार, ऐसे सभी डीपीओ, जिन्होंने टैरिफ संशोधन आदेश के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ घोषित नहीं किया है, को निर्देश दिया जाता है कि वे टैरिफ संशोधन आदेश के प्रावधानों का अनुपालन करें और अनुपालन की सूचना प्राधिकरण को तुरंत दें।

**(अनिल कुमार भारद्वाज)  
सलाहकार (बी एंड सीएस)**

प्रति,

सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ),  
सभी डीटीएच ऑपरेटर,  
सभी आईपीटीवी ऑपरेटर, और  
सभी हेडएंड-इन-द-स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटर।